



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262280  
CG-DL-E-04042025-262280

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1562]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2025/ चैत्र 13, 1947

No. 1562]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/ CHAITRA 13, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2025

सं. 03 / 2025—26

विषय: संबद्ध एफएसएसएआइ अधिसूचना के अनुरूप अनुसूची-I (आयात नीति) आईटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट-V की सूची "क" में खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदुओं के रूप में दर्राग के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों को शामिल करना।

का.आ.1581(अ.)—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुसूची-I (आयात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 के अंतर्गत आयात नीति के संबंध में सामान्य नोट्स को अधिसूचित करती है:

मौजूदा प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
4(घ) खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदु: भारत में सुरक्षित खाद्य आयात के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआइ ने 161 खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदुओं [28 समुद्री पत्तनों, 16	4(घ) खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदु: भारत में सुरक्षित खाद्य आयात के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआइ ने 162 खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदुओं [28 समुद्री बंदरगाहों, 16

<p>हवाई पत्तनों, 32 भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) और 85 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आइसीडी) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइजेड) को कवर करते हुए, पर खाद्य आयात निकासी के संचालन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है, जिसे एफएसएसएआइ की 9 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017) के साथ पठित 12.11.2021 (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 11.06.2021 (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 31.01.2022 (1-1685/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 28.03.2023 (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017/(भाग-I) और अधिसूचना दिनांक 14.06.2023 (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017) की अधिसूचना के साथ आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I के परिशिष्ट-V में सूची क के अनुसार किया गया है। खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदु प्रतिबंध 1579 एचएस कोड के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए लागू होंगे, जैसा कि आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I के परिशिष्ट V की सूची ख में वर्णित है।</p>	<p>हवाई पत्तनों, 33 भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) और 85 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आइसीडी) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइजेड) को कवर करते हुए, पर खाद्य आयात मंजूरी के संचालन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है, जिसे एफएसएसएआइ की 9 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017) के साथ पठित 12.11.2021 (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 11.06.2021 (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 31.01.2022 (1-1685/एफएसएसएआइ/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 28.03.2023 (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017/(भाग-I), अधिसूचना दिनांक 14.06.2023 (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017) और अधिसूचना संख्या 03.09.2024 (फा.सं. 1-1715/एफएसएसएआइ/आयात/2017/(भाग-I)) की अधिसूचना के साथ आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I के परिशिष्ट-V में सूची क के अनुसार किया गया है। खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदु प्रतिबंध 1579 एचएस कोड के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए लागू होंगे, जैसा कि आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I के परिशिष्ट-V की सूची ख में वर्णित है।</p>
--	--

2. अनुसूची-I (आयात नीति), आइटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट-V में सूची "क" को एलसीएस की सूची में नई प्रविष्टि सम्मिलित करके निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

क्रम सं.	पत्तन का नाम	पत्तन का कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत अधिकारी
33.	एलसीएस दर्रांग	आइएनडीआरजीबी	असम	अधीक्षक/मूल्यांकक/निरीक्षक/परीक्षक

**इस अधिसूचना का प्रभाव:** एलसीएस दर्रांग को अनुसूची-I (आयात नीति), आइटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट-V की सूची "क" में शामिल किया गया है और अनुसूची-I (आयात नीति), आइटीसी (एचएस), 2022 के तहत आयात नीति के संबंध में सामान्य नोट्स को संशोधित किया गया है, ताकि संबद्ध एफएसएसएआइ अधिसूचनाओं के साथ खाद्य आयात प्रविष्टि बिंदुओं के संबंध में संबंधित विवरण का अद्यतन किया जा सके।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/27/एम-12/पीसी-2(क)/ई-5955]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2025

No. 03/2025-26

**Subject: Inclusion of Land Custom Stations Darranga as Food Import Entry Points in List "A" of Appendix-V to Schedule-I (Import Policy), ITC (HS), 2022 in sync with relevant FSSAI Notification-reg.**

**S.O. 1581(E).**— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as

amended from time to time, the Central Government hereby notifies the General Notes Regarding Import Policy under Schedule-I(Import Policy), ITC (HS), 2022 with the following amendments:

Existing entry	Revised entry
4(D) Food Import Entry Points: To ensure the mandate of safe food imports in India, FSSAI has notified Authorised Officers to handle food import clearance at 161 food import entry points [covering 28 sea ports, 16 airports, 32 land customs stations (LCSs) and 85 inland container depots (ICDs)and Special Economic Zones (SEZ)] vide FSSAI's Notification dated 9th October 2019 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017) read with Notification dated 12.11.2021 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017), Notification dated 11.06.2021 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017), Notification dated 31.01.2022 (1-1685/FSSAI/Imports/2017), Notification dated 28.03.2023 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017/(Part-I)) and Notification dated 14.06.2023 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017) as per List A in Appendix-V to Schedule-I of ITC (HS), 2022. The food import entry points restrictions shall be applicable for items against 1579 HS Codes as detailed in List B of Appendix: V to the Schedule-I of ITC (HS), 2022.	4(D) Food Import Entry Points: To ensure the mandate of safe food imports in India, FSSAI has notified Authorised Officers to handle food import clearance at <b>162</b> food import entry points [covering 28 sea ports, 16 airports, <b>33</b> land customs stations (LCSs) and 85 inland container depots (ICDs)and Special Economic Zones (SEZ)] vide FSSAI's Notification dated 9th October 2019 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017) read with Notification dated 12.11.2021 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017), Notification dated 11.06.2021 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017), Notification dated 31.01.2022 (1-1685/FSSAI/Imports/2017), Notification dated 28.03.2023 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017/(Part-I)), Notification dated 14.06.2023 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017) and <b>Notification dated 03.09.2024 (F.No. 1-1715/FSSAI/Imports/2017/(Part-I))</b> as per List A in Appendix-V to Schedule-I of ITC (HS), 2022. The food import entry point restrictions shall be applicable for items against 1579 HS Codes as detailed in List B of Appendix: V to the Schedule-I of ITC (HS), 2022.

2. List "A" in Appendix-V to Schedule-I (Import Policy), ITC (HS), 2022 is revised as under through insertion of new entry in the list of LCS as following:

a) Notification of Authorized Officers at additional food import entry points:

Sl. No.	Port Name	Port Code	State/ UT	Authorized Officer
33.	LCS DARRANGA	INDRGB	Assam	Superintendent/ Appraiser/ Inspector/ Examiner

**Effect of the Notification:** LCS Darranga has been included in List "A" of Appendix -V to Schedule-I (Import Policy), ITC (HS), 2022 and the General Notes regarding Import Policy under Schedule-I (Import Policy), ITC (HS), 2022 have been amended, to update relevant details regarding Food Import Entry Points in sync with the relevant FSSAI Notifications.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/27/AM-12/PC-2[A]/E-5955]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.